

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31/10/2022

क्र. एफ 16-25/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आदिशक्ति राईस मिल प्रा. लि. द्वारा ग्राम उमरिया-इसरा तहसील एवं जिला छिन्दवाडा में रूपये 28.22 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से चावल, फॉर्टिफाईड राईस स्थापना का प्रस्ताव (MSME12203070005) पर समस्त सुविधायें, उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाईयों हेतु प्रावधान अनुसार विहित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. परियोजना को स्वीकृत सुविधा का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 31/10/2022

पृ. क्र. एफ 16-25/2022/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर।
 4. कलेक्टर, जिला छिन्दवाडा।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स आदिशक्ति राईस मिल प्रा. लि. ग्राम - उमरिया - इसरा, सोनी रोड, तहसील एवं जिला छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश - 480001।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग